भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3160**

उत्तर देने की तारीख 18.12.2025

**'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'**

**3160. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित पहलुओं की जांच के लिए किसी विशेष समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधि और कर्मचारियों की कमी के कारण एनसीएसटी को सौंपे गए कार्यों के संबंध में अध्ययन शुरू करने में असमर्थता का अनुभव हुआ और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आयोग अब इन सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के तौर-तरीके के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में जिला स्तर पर सक्रिय रूप से समितियां गठित की हैं ताकि लोगों और सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत भूमि पट्टा दावों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। इसके परिणामस्वरुप हज़ारों लंबित भूमि पट्टा मामलों का समाधान हुआ है।

(ख) और (ग): चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को बजट अनुमान (बीई) आवंटन ₹19.68 करोड़ है और वर्तमान कर्मचारियों की संख्या 77 है।

वर्ष 2022 से 2024 के दौरान, आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर 19 अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं।

*****